(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 471–दो/1998 विरूद्व आदेश दिनांक 08 जनवरी, 1998 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 18/1995–95 निगरानी

जय सिंह पुत्र देशराज सिंह यादव
निवासी ग्राम सौंतेर तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– हल्कू सिंह पुत्र जगत सिंह यादव
ग्राम सौंतेर तहसील चन्देरी जिला
अशोकनगर मध्य प्रदेश
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 18/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8–1–1998 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बेहटी स्थित भूमि सर्वे कमांक 17 एंव 19 कुल रकबा 1.495 हैक्टर को तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 30 अ–19/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 9–9–1992 से आवेदक के हित में व्यवस्थापन किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्रकरण कमांक 1/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–3–1996 से तहसीलदार चन्देरी का आदेश दिनांक 9–9–1992 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी

प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 18/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 08–01–98 से निगरानी अस्वीकार की एंव आदेश के पद–7 में कलेक्टर गुना को निम्नानुसार निर्देश दिये :–

" इस आदेश की एक प्रति कलेक्टर जिला गुना को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि तहसील न्यायालय के व्दारा जिन चार अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, उसका भी परीक्षण करा लिया जावे और यदि इन लोगों का दिनांक 2–10–84 के पूर्व से शासकीय भूमि पर आधिपत्य प्रमाणित नहीं पाया जावे तो प्रकरण को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी में लेकर पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई आदि का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर समुचित आदेश पारित किया जावे। "

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अनावेदक कमांक–1 ने अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष इस अधार पर अपील कमांक 1/1995–96 प्रस्तुत की है कि ग्राम बेहटी की भूमि सर्वे कमांक 17 एंव 19 कुल रकबा 1.495 हैक्टर पर उसका मौके पर कब्जा चला आ रहा है एंव आवेदक ग्राम बेहटी का निवासी नहीं है । आवेदक के पिता के पास पूर्व से ही लगभग 200 वीघा भूमि है। आवेदक को भूमि का व्यवस्थापन म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्धन अधिनियम 1984 के अंतर्गत किया गया है। इन नियमों में व्यवस्थापन तभी किया जा सकता है जब आवेदक भूमिहीन हो एंव 2–10–1984 के पूर्व से व्यवस्थापिती का भूमि पर कब्जा प्रमाणित हो एंव व्यवस्थापित भूमि के अतिरिक्त अन्य साधनों से उसकी आजीविका चलाने का साधन न हो। विचाराधीन प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदक के पिता के पास अन्य ग्रामों में पूर्व से ही 200 वीघा भूमि के लगभग कृषि भूमि है जिसके कारण आवेदक व्यवस्थापन के लिये अपात्र है। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी व्दारा म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अंतर्गत आदेश दिनांक 4–3–1996 पारित करने वावत् अधिकारिता का प्रश्न है ? विद्वान अपर

आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक दिनांक 8–1–1998 के पद 4 एंव 5 में इसकी विवेचना का निष्कर्ष दिया है जिससे असहमत होने वावत् आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से आवेदक के पिता के पास अन्य ग्रामों में पूर्व से ही 200 वीघा कृषि भूमि के लगभग होना बताया गया है जबकि मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 में पात्रता के लिये इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :–

अ. अधिकार के लिये पात्रता – भूमिस्वामी अधिकार की पात्रता के लिये व्यक्ति कृषि श्रमिक होना चाहिये. 2 अक्टूवर 1984 को कृषि भूमि उसके कब्जे में होना चाहिए. वह उसी ग्राम का निवासी होना चाहिये , जिसमें भूमि स्थित है तथा उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य भूमि धारण नहीं करता हो।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक वाद विचारित भूमि अधिनियम में विहित प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्थापन की पात्रता नहीं रखता है फिर भी आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 30 अ–19/1989–90 में आदेश दिनांक 9–9–1992 पारित करके आवेदक के हित मे भूमि का अनुचित व्यवस्थापन किया है, जिसे अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 8–1–1998 से ठीक ही निरस्त किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 18/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8–1–1998 उचित होने से यथावत् रखा जाता है। गुना जिला विभाजित होकर अशोकनगर जिला बन चुका है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेष दिनांक 8–1–1998 की एक प्रति सहित इस आदेश की प्रति कलेक्टर अशोकनगर को कार्यवाही हेतु प्रथक से भेजी जावे।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर